परिशिष्ट - 10 W.S.

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/14790–14881 /2010–11, दिनांक : 19 अगस्त, 2010

विषय :–स्कूलों में शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 1466/15–7–2007 दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 जो आपको पृष्ठांकन संख्या शि.नि.(बे.)/24122–24210/2007–08 दिनांक 17–10–2007 को पृष्ठांकित किया गया है,जिसकी प्रति पुनः सुलभ संदर्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

उक्त के संबंध में आपको समय–समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को किसी भी प्रकार का दण्ड न दिया जाए । इस हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्नवत् व्यवस्था प्रावधानित है :–

"17(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.

(2) Whoever contravenes the provisions sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person."

कृपया उक्त शासनादेश एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के अन्दर किसी भी बच्चे को दण्डित नहीं किया जा रहा है । विद्यालयों में शिक्षण का ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे स्वतंत्रता और सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

उक्त निर्देशों को अपने जनपद के समस्त उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/प्रधानाध्यापक/बी.आर.सी./एन.

पी.आर.सी. को अवगत कराते हुये प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु निर्देशित कर दिया जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय,

19/8/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया),
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या शि.नि.(बे.)/[illegible]/14790-14881/2010–11 तद्दिनांकित ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव,बेसिक शिक्षा,शिक्षा(5) अनुभाग,उ.प्र.शासन, लखनऊ को शिविर कार्यालय के पत्रांक शि.नि.(बे.)/14511/2010–11 दिनांक 16 अगस्त, 2010–11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– अपर राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ.प्र., लखनऊ ।

3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), मुख्यालय इलाहाबाद ।

4– सचिव, उ.प्र.बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।

भवदीय,

19/8/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया),
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

F.No.2010.doc222

W-5

अति महत्वपूर्ण / उच्च प्राथमिकता
संख्या–1466 / 15–7–2007

प्रेषक,

प्रशांत कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2007

विषय:– स्कूलों में शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार नईदिल्ली की अध्यक्षा सुश्री शान्ता सिन्हा ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–NCPCR/Edu-1/07130 दिनांक 08 अंगस्त, 2007 में स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड दिये जाने पर चिन्ता व्यक्त किया है क्योंकि यह बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक है।

बच्चे भय के कारण हिंसा का प्रतिरोध किये बिना शान्त रहते हैं। कभी–कभी उनके व्यवहार में घोर अपमानित होने के संकेत परिलक्षित होते हैं परन्तु उसे अनदेखा करके उन पर हिंसा जारी रखी जाती है।

शारीरिक दण्ड में बच्चों को झाड़ना, फटकारना, विद्यालय परिसर में दौड़ाना, घुटनों के बल बैठाना, छड़ी से पीटना, चिकोटी काटना, चाँटा अथवा तमाचा मारना, चपत जमाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लास रूम में अकेले बन्द कर देना, बिजली का झटका देना एवं अन्य सभी प्रकार के वे कृत्य जो अपमानित करने, नीचा दिखाने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुँचाने और अन्ततः मृत्यु कारित करने वाले हों, सम्मिलित हैं।

यह देखने में आया है कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अनुशासित करने की सामान्य प्रकिया में शारीरिक दण्ड को अपना लिया गया है। सभी प्रकार के शारीरिक दण्ड बच्चों के मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बच्चों

के अधिकारों के–प्रति एक तमाचा भी उतना ही हानिकारक है जितना एक कष्टकारक चोट। वास्तव में कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है जिससे तथाकथित "लघु कृत्य" को अनदेखा किया जा सके जो मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की ओर अग्रसर हो। यह विधिक रूप से भी ग्राह्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पहली दिसम्बर,2000 को बच्चों के शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाया था और निर्देशित किया था कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें–'कि बच्चों को स्कूलों में शारीरिक दण्ड न दिया जाये। वे स्वतंत्रता और सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें।'

बच्चे भी, यदि अधिक नहीं तो उतने ही मानवीय एवं संवेदनशील हैं जितना कि वयस्क। उन्हें ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें वे सावधानीपूर्वक सुरक्षित रह सकें। बच्चों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकारने से अहिंसा के उच्चतम मानक की संस्कृति की शुरूआत होती है। बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाये बिना उनसे आत्मीयता का व्यवहार करें। इस प्रकार वयस्क व्यक्ति उन लोगों के प्रति सचेष्ट रहें जो बच्चों का सम्मान नहीं करते।

बच्चों को दण्डित किये जाने से रक्षा करने का दायित्व सभी स्तरों पर अध्यापकों, शिक्षा संबंधी प्रशासन के साथ–साथ प्रबंधक का ही है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:–

(I) समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाये कि उन्हें शारीरिक दण्ड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाये।

(II) प्रत्येक स्कूल,जिसमें छात्रावास,जे0जे0होम्स,बाल संरक्षण गृह एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं,में एक ऐसा फोरम बनाया जाये जहाँ बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी एन0जी0ओ0 की सहायता भी लेनी चाहिए।

(III) प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत–पेटिका भी होनी चाहिए जिसमें छात्र शिकायती पत्र,अनाम शिकायती पत्र भी डाल सकें।

(IV) अभिभावक शिक्षक समिति अथवा समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही की मासिक समीक्षा करें।

(V) अभिभावक शिक्षक समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गँवाये तत्परता से कार्यवाही करें ताकि कोई दारूण स्थिति न उत्पन्न हो सकें। दूसरे शब्दों में अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गम्भीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

(VI) अभिभावकों के साथ–साथ बच्चों को भी शारीरिक दण्ड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज उठाने के लिए अधिकृत किया

जाये वगैर इस बात से भयाक्रान्त हुए कि इससे स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(VII) शिक्षा विभाग ब्लाक स्तर,जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर ऐसी प्रक्रिया स्थापित करे जिससे बच्चों क शिकायतों एवं उन पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की जा सके।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के उक्त दिशा निर्देशों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार व्यापक प्रचार–प्रसार कराने तथा निर्देशों के अनुपालनार्थ अपने स्तर से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को सम्यक् निर्देश जारी करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें ताकि मा0 आयोग को अवगत कराया जा सके। इन दिशा–निर्देशों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की बेवसाइट पर भी डाल दिया जाये ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें और बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने का अभिलषित लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सके।

भवदीय,

(प्रशांत कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव।

पु0संख्या–1466(1)/15–7–2007 तद्दिनांक

1- प्रतिलिपि अध्यक्ष,राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग,103,जीवनदीप बिल्डिंग,संसद मार्ग,नईदिल्ली–110001 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09–08–2007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(ए0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 शि0नि0(बे0)/24122-24210 /2007–08 दिनांक 17–10–2007
उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,इलाहाबाद
2. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,।
4. समस्त बेसिक शिक्षाअधिकारी,उत्तर प्रदेश।

(शरत चन्द्र श्रीव...)
अपर शिक्षा नि...
कृते शिक्षा निदेशा...
उत्तर प्रदेश,...